


27 ¹²/₂₀₁₉

पत्रावली- पेश हुई। वादी उपस्थित नहीं हैं
रक-रक कर आवजें लगाये जाने पर भी
कोर्ट उपस्थित नहीं आया है एवं न ही हमारे
समक्ष अनुपस्थित रहने का कोर्ट कारण
पेश किया गया है।

अप
28

अतः पत्रावली अदम राजरी- अदम पुरवा
में इसी स्टैज पर खारिज की जागी है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे
इजलास सुनाया गया। पत्रावली कायरा में
नम्बर से कम होकर निर्णित शुमार काद
दाखिल कपतर होत


(राकेश कुमार न्याय)
अपठडाधिकारी
डी. डी. गराठ